

**राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर**

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/2016/293-350
परिपत्र

दिनांक : 28/01/2016


समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/
प्राचार्य संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

महोदया/महोदय,

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांकएफ.1(46)आरबी/2015/8145, 533 दिनांक 26.11.2015, 19.01.2016 के क्रम में, कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 25.01.2016 की अनुपालना में सूचित किया जाता है कि राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समन्वय समिति की दिनांक 29.01.2016 को राजभवन, जयपुर में आयोजित बैठक से सम्बन्धित कार्य बिन्दुओं पर कार्यवाही कर शीघ्रातिशीघ्र कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करें, जिससे कि विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा को सूचित किया जा सकें।

क्र.स.	बिन्दु	कार्यवाही
1.	विश्वविद्यालयों/संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने बाबत I. न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु की गई व्यवस्था II. जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, उनके संबंध में विश्वविद्यालय की वेब साइट पर सूचना प्रकाशित करने की व्यवस्था, III. कम उपस्थिति के संबंध में स्वयं विद्यार्थी तथा उनके परिजनों को सूचित किये जाने की व्यवस्था	समस्त विभाग/सेन्टर/संघटक / सम्बद्ध महाविद्यालय बिन्दुवार कार्यवाही कर सूचित करें।

उक्त व्यवस्था मासिक/त्रैमासिक आधार पर सुनिश्चित की जावें ताकि जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति कम है, वे अवशेष अवधि में कक्षाओं में उपस्थित होकर उपस्थिति पूर्ण कर सकें।


उप-कुलसचिव
शैक्षणिक